लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

प्रकरण संख्या : 12/ 2024
GCMS NO. : 2024/69

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री मृदुल पुरोहित, C/O कार्यालय अन्दर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड, बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 16–10–2024

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 01.08.2024 (पोस्टल ऑर्डर नं. 62एफ 366597) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा निर्धारित अवधि में भी सूचना उपलब्ध नही कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस कार्यालय से नोटिस दिनांक 25.09.2024 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथि को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.10.25 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

आज दिनांक 16.10.2024 को अपीलार्थी अनुपस्थित है। प्रत्यर्थी ने पत्रांक भू. अ./ 2024/ 2500 दिनांक 30.09.2024 से अवगत कराया कि अपीलार्थी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2024 से 4 बिन्दुओ पर वांछित सूचना के सन्दर्भ में बिन्दु सं. 1 व 2 से संबंधित सूचना हेतु आवेदन पत्र आंशिक रुप से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत पत्रांक 1705–07 दिनांक 02.08.2024 द्वारा उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा को अंतरित किया गया तथा बिन्दु सं. 3 एवं 4 से सम्बन्धित सूचनाऐं कार्यालय के पत्रांक 1762 दिनांक 08.08.2024 से उपलब्ध करा दी गई थी। यह अपील प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 2494–95 दिनांक 30.09.2024 से आवेदक स्वयं को पुनः सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया। अपील अनुसार अपीलार्थी को उनके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के तहत दिनांक 01.08.2024 पर सूचना उपलब्ध नही कराने के कारण यह अपील पेश की है। तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा ने 4 बिन्दुओ पर वांछित सूचना के सन्दर्भ में बिन्दु सं. 1 व 2 की सूचना उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा से सम्बन्धित होने से [illegible] सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत पत्रांक 1705–07 दिनांक 02.08.2024 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.10.25 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा को नियमानुसार अंतरित किया है, जिसकी प्रतिलिपि अपीलांट को प्रेषित की गई है। बिन्दु सं. 3 एवं 4 से सम्बन्धित सूचनाऐं तहसीलदार (भू.अ.) बांसवाडा द्वारा उनके पत्रांक 1762 दिनांक 08.08.2024 से उपलब्ध करा दी गई थी। यह अपील दर्ज होने के पश्चात् तहसीलदार (भू.अ.) बांसवाडा द्वारा उनके पत्रांक 2494–95 दिनांक 30.09.2024 से आवेदक स्वयं को पुनः सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई है। जिसकी प्रति लोक सूचना अधिकारी ने अपने जवाब के साथ संलग्न की है।

अतः अपील अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS,
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.10.25 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested